न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम, आर.ए.एस.

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या :— 16 / 2024

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
1 चुन्नीलाल पुत्र जसाराम 2 पोकरराम पुत्र जसाराम, 3 रमेशचन्द्र पुत्र हरीराम जातिगण सरगरा निवासीगण चण्डावल तह0 सोजत जिला पाली राजस्थान।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सोजत(भू0अ0) सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितः—

1. श्री सुरेन्द्र वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
2. तहसीदार सोजत अप्रार्थी उपस्थित।

दिनांक :— 13/11/2024

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 251—ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चण्डावल के खसरा संख्या 837 रकबा 0.4100 हैक्टर पर आने जाने से खसरा संख्या 840/4 से खसरा संख्या 836 रकबा 0.6200 किस्म गै0मु0 तेडिया में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने की ईशतदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर पर्याप्त अवसर के बावजूद जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने से अवसर समाप्त कर आज जवाब प्रार्थना पत्र बंद किया गया।

तहसीलदार सोजत से प्रार्थित रास्ते के सम्बन्ध में वांछित तीनो बिन्दु यथा उपलब्ध वैकल्पिक/निकटतम रास्ता, सुविधा जनक उपयोग हेतु आवेदन, अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं से सम्बद्ध बरूवे मौका रूबरू उभय पक्षकारान मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा चाही गई। तहसीलदार, सोजत ने अपने पत्रांक/राजस्व/2024/635 दिनांक 17.05.2024 के जरिए प्रस्तुत मौके की वस्तुस्थिति मय नजरी नक्शा सा0मि0 की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा सम्बन्धित पटवारी, भू0अभि0निरी0 चण्डावल, द्वारा तैयार फर्द मौका रूबरू प्रार्थी पक्षकार एवं गौतबिरान तैयार मय नजरी नक्शा रिपोर्ट में अंकित किया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम चण्डावल के खसरा नम्बर 837 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 836 व 840/4 से मांग की गई है। जबकि 840/4 प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी भूमि है खसरा संख्या 836 सिवायचक भूमि है। खसरा संख्या 835 से लगती हुई खसरा 840 प्रार्थीगण स्वयं की खातेदारी भूमियां है जिससे आवागमन किया जा सकता है।

उपखण्ड अधिकारी

बहस अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए सरहद मौजा चण्डावल के खसरा संख्या 837 पर आने जाने से खसरा संख्या 840/4 से खसरा संख्या 836 रकबा 0.6200 किस्म गै0मु0 तेडिया में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाये जाने की ईश्तदुआ की है। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत ने व्यक्त किया कि प्रार्थीगण स्वयं की भूमियां मुख्य मार्ग से लगाकर प्रार्थी द्वारा जिस खसरा जात की भूमि मे जाने हेतु रास्ता चाह रहा है, उसके बीच में स्थित है। जिससे प्रार्थी मुख्य मार्ग से अपनी भूमि मे आ जा सकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमाया जावें।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस वकुलाय उभयपक्षों को सुना तथा राजस्व रेकर्ड मय मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा का गहनता से अध्ययन किया। यहा सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता नहीं है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध नहीं किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 836 व 840 में से रास्ता चाहा गया है जबकि मुख्य मार्ग प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 837 के मध्य प्रार्थीगण स्वयं की भूमि खसरा नम्बर 840 आई हुई स्थित है जिससे प्रकरण में रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता/ वैकल्पिक मार्ग का अभाव सिद्ध नहीं हुआ है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के Mandatory Provision को पूर्ण नही करने तथा स्वीकार योग्य नहीं होने से स्वीकार किया जाना उचित नहीं समझते है।

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त विवेचना/विश्लेषणानुसार अधिवक्ता मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट 1955 का पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 13/11/2024 को सरे इजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत